जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 209 प्रभात हिण्डौन सिटी, मंगलवार 3 जून, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कोविड के पुनः सक्रिय होने पर रिपोर्ट मांगी

न्यायालय ने यह जानकारी भी मांगी कि क्या सैंपल कलैक्शन, सैंपल कलैक्शन सैंटर तथा सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय कर दिये गये हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि "अगली कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है", केन्द्र सरकार से सैंपल कलैक्शन संग्रह, सैंपल कलैक्शन सैंटर तथा सैंपल के परिवहन की नीति पर क्या निर्णय लिया गया है, इस पर स्थिति-रिपोर्ट मांगी है।

28 मई को दिए गए आदेश में न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि यह मामला अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं कि "कोविड-19" सक्रिय हो गया है।

कोर्ट ने कहा, "वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अपेक्षित है कि प्रतिवादी तत्काल उपायों का एक स्पष्ट खाका तैयार करे, ताकि स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) लागू की जा सके और बैठक में लिया गया निर्णय अपने उचित निष्कर्ष तक पहुँचे।"

- **न्यायालय ने कहा, 30 मई, 2023 को अतिरिक्त निर्देशक जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेज़, की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड के पुनः प्रसार को रोकने के लिए कई निर्णय लिये गये थे, जिनमें कोविड के संदर्भ में चार उपसमितियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया था।**
- **न्यायालय ने 30 मई, 2023 को आयोजित इस बैठक में कोविड के संबंध में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट मांगी है।**

यह मामला डॉ. रोहित जैन द्वारा दायर एक अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 27 जनवरी, 2023 को हाई कोर्ट खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है।

खंडपीठ ने इस मुद्दे पर जैन की याचिका को निस्तारित करते हुए, केन्द्र सरकार को इसे एक "रैप्रैज़ेन्टेशन" के रूप में मानकर 12 सप्ताह के भीतर कारण सहित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जैन का कहना था कि उक्त आदेशों के बावजूद, केन्द्र सरकार ने सैंपल लेने, संग्रह केन्द्रों और सैंपल ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूनतम मानकों की स्थापना को लेकर कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए।

30 मई, 2023 को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें न्यायिक आदेशों के आधार पर जैन को भी आमंत्रित किया गया था।

इस बैठक में पैथॉलजी, बायोकैमिस्ट्री, हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायॉलजी के विशेषज्ञों की चार उप-समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया था। ये समितियाँ केन्द्र सरकार के केन्द्रों और परिवहन नीति के लिए एस.ओ.पी. तैयार करनी थी और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

आदेश में यह भी उल्लेख है कि दिशा-निर्देशों में स्टोरेज स्टैण्डर्ड्स (भंडारण मानकों) को भी शामिल किया जाना था। बैठक में अन्य कार्रवाइयों पर भी सहमति बनी थी, जिसे अदालत ने नोट किया।

न्यायमूर्ति दयाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह नहीं बताया कि 30 मई, 2023 की बैठक का क्या परिणाम निकला और क्या निर्णय लिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि पहली दृष्टि में यह अवमानना याचिका बनी नहीं रह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

15 जून को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित

नयी दिल्ली, 02 जून। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट-पीजी 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और संशोधित तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।

बोर्ड ने सोमवार को यहां जारी एक नोटिस में बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप नीट - पीजी 2025 की परीक्षा एक पाली में आयोजित की जाएगी।

- **परीक्षा बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक पाली में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है, नई तिथि जल्दी ही घोषित की जाएगी।**

नोटिस के अनुसार न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप एक पाली में परीक्षा कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है और परीक्षा की संशोधित तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट-पीजी 2025 को स्थगित कर दिया गया है।

चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ की स्पष्ट स्वीकृति ने कई सवाल उठाये, "सरकार की तैयारी" के बारे में

सीडीएस अनिल चौहान ने वायु सेना की तैयारी और माडर्नाइजेशन के बारे में सरकार के दावों को खोखला साबित करने का प्रयास बताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारत-पाक के हालिया टकराव में भारत के कुछ विमानों का नुकसान होने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। उनके बयान ने मोदी सरकार की रक्षा खरीद की नीतियों व सैन्य तैयारियों की रणनीति पर नए सिरे से बहस शुरु हो गई है।

जनरल चौहान की टिप्पणी से रक्षा विशेषज्ञों में चिंता की लहर दौड़ गई है, जो काफी समय पहले ही अपर्याप्त नियोजन और भारत हवा में मार करने की क्षमता के आधुनिकीकरण में देरी पर चेतावनी दे चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार निर्धारित समय में एयर क्राफ्ट डील करने की अत्यावश्यकता को नहीं समझती है, ना ही टैक्नॉलजी ट्रांसफर के जरिए स्वदेशी निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता बुरी तरह से प्रभावितत हुई है।

- **एक अन्य रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने कहा कि कारगिल की लड़ाई के दौरान भी वायु सेना में 12 स्क्वॉड्रन की कमी थी तथा डिफैंस रिव्यु कमेटी ने भी वायु सेना की इस कमी पर काफी फोकस किया था।**
- **सभी सरकारों ने वायु सेना की इस कमी को बढ़ने से रोकने के लिए काफी प्रयास किये, पर, सीडीएस के अनुसार, गत ग्यारह साल में वायु सेना के माडर्नाइजेशन में इस कमी की भरपाई के लिए काफी कम प्रयास हुए।**
- **पूर्व जनरल मोहन भंडारी ने इस "स्लो डाउन" को स्वीकार किया, पर, इस बात पर भी जोर दिया कि डिफैंस लीडरशिप को युद्ध की तैयारी में पूरी तरह तत्पर ही नहीं बल्कि सेना के अधिकारियों को सार्वजनिक बातचीत में माहिर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, सेना के उच्च अधिकारियों को जनता से "बातचीत" करने में महारथ हासिल करना भी युद्ध के लिए तत्पर रहने जितना जरूरी हो गया है।**

रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि भारतीय वायु सेना स्वीकृत स्तर से कम की स्कॉड्रन क्षमता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, "कारगिल वॉर के बाद से ही हमारे पास पहले से ही 12 स्कॉड्रन कम हैं, तब डिफैन्स रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। उसने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका गंभीरता से पालन नहीं किया गया।"

विशेषज्ञों का कहना है कि बाद की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने असम के अल्पसंख्यक विद्यार्थी यूनियन की याचिका स्वीकार नहीं की

याचिका में कहा गया था कि विदेश मंत्रालय द्वारा नागरिकता के सत्यापन या गैर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी किये बिना, लोगों को विदेशी करार कर, सीमा पर खदेड़ना गैर-कानूनी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को "ऑल बीटीसी मायनॉरिटी स्टूटेन्ट्स' यूनियन" (एबीएमएसयू) द्वारा दायर की गई उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें असम सरकार द्वारा विदेशी माने जाने वाले लोगों को नज़रबंद करने तथा निर्वासित करने के लिये चलाये जा रहे "अविवेकपूर्ण" अभियान पर चिन्ता जताई गई है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और सतीश चन्द्र शर्मा की बैंच ने सुझाव दिया कि उचित राहत पाने के लिये वादी संगठन गौहाटी उच्च न्यायालय जाये।

अदालत ने कहा, "कृपया गौहाटी उच्च न्यायालय जायें। हम इसे (याचिका) खारिज कर रहे हैं।"

असम के बोडोलैंड में काम कर रहे सामाजिक एवं विद्यार्थी संगठन एबीएमएसयू द्वारा दायर याचिका में असम पुलिस एवं प्रशासन -तंत्र द्वारा चलाये जा रहे निर्वासन के तरीके पर सवाल खड़े किये गये हैं। संगठन का कहना है कि पुलिस और प्रशासन संविधान या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बचाव तथा न्यायिक प्रक्रिया को अपनाये बिना अनौपचारिक "पुश बैक" तरीका काम में ले रहे हैं।

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका वापस लौटाते हुए कहा, याचिकाकर्ता को पहले गौहाटी हाई कोर्ट में राहत की अपील करनी चाहिए। वहाँ रिलीफ न मिलने के बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए।**

एडवोकेट अदील अहमद के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है, "यह "पुश बैक" नीति, जो धुबरी, दक्षिण शालमारा तथा गोलपारा जैसे सीमावर्ती जिलों में चलाई जा रही है, न केवल कानूनी रुप से अनुचित है, बल्कि यह भारतीय नागरिकों को राज्यविहीन बना रही है। इन लोगों में वे गरीब एवं वंचित लोग शामिल हैं, जिन्हें एक पक्षीय तौर पर विदेशी घोषित कर दिया गया है तथा वे इस स्थिति को चुनौती देने के लिये कानून का सहारा भी नहीं ले सकते हैं।"

याचिका में आगे कहा गया है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निर्विरोध चुने जा सकते हैं तमिलनाडु से सभी 6 राज्यसभा सदस्य

चेन्नई, 02 जून। तमिलनाडु में 19 जून को होने वाले द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गयी। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) नेतृत्व वाले मोर्चे के चार और विपक्षी अन्नाद्रमुक नेतृत्व वाले गठबंधन के दो उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

रिटायर हो रहे छह मौजूदा सांसदों में से पांच द्रमुक से हैं (जिसमें एक उसके सहयोगी एमडीएमके का है) और अन्नाद्रमुक के पूर्व सहयोगी पीएमके के पास एक सीट है। तमिलनाडु के छह सांसदों डॉ अंबुमणि रामदास (पीएमके), एम षणमुगम, एन चंद्रशेखरन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, पी विल्सन (सभी द्रमुक) और वाइको (एमडीएमके) का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा।

- **इनमें में 4 द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से व दो अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से होंगे।**

'इलाज के लिए घंटों इंतजार कराया, अन्ततोगत्वा दुष्कर्म पीड़ित बालिका ने दम तोड़ा'

बिहार में समूचे विपक्ष ने यह आरोप लगाते हुए बालिका की मृत्यु के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले में नौ वर्ष की एक दलित बालिका, जिसके साथ गत सप्ताह कथित रुप से दुष्कर्म हुआ तथा नृशंस हमला किया गया, की मृत्यु से राज्य में एक राजनैतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष इस अमानवीय घटना के लिये नीतीश कुमार सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, आरोपी, जिसकी पहचान रोहित साहनी के रुप में हुई है, बालिका को कथित रुप से स्नैक्स का लालच देकर एक निर्जन स्थान पर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके बाद, उसका गला चीर कर, वहाँ से भाग गया। बाद में, उसकी माँ को बेटी अर्द्धनग्न एवं लहुलुहान स्थिति में मिली।

बताया जाता है कि बालिका को पहले मुज़फ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसकेएम सीएच) ले जाया गया, किन्तु बाद में उसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) रैफर कर दिया गया।

- **सूत्रों के अनुसार, 9 वर्षीय बालिका को बेहद गंभीर अवस्था में श्रीकृष्ण मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे पटना मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल रैफर किया गया।**
- **बालिका के परिजनों ने आरोप लगाया कि शनिवार को पटना मैडिकल कॉलेज के बाहर उन्हें 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।**
- **परिजनों और विपक्ष का आरोप है कि देरी के कारण बालिका की मौत हो गई।**
- **बिहार ही नहीं देशभर के सभी विपक्षी नेताओं ने इस घटना के लिए नीतीश सरकार को घेरा है।**

लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि शनिवार को पीएमसीएच के बाहर छः घंटे तक इन्तजार करने के बाद, उसे अस्पताल में देखा गया। रविवार को लड़की की मृत्यु हो गई।

हालाँकि पीएमसीएच के अधिकारियों ने इलाज में किसी प्रकार के विलम्ब से इनकार किया है, लेकिन इस घटना से राज्य में राजनैतिक बवाल मच गया है। विपक्षी दल कानून-व्यवस्था एवं इलाज में विलम्ब को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा-जेडीयू सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "दुष्कर्म के बाद जीवित बची मुज़फ्फरपुर की बेटी की मौत हो गई। "कुर्सी कुमार" का निर्मम एवं निष्क्रिय तन्त्र जीत गया। अमीर और गरीब के बीच फर्क करने वाला तन्त्र जीत गया और मानवता मर गई।"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने "एक्स" पर पोस्ट किया, "मुज़फ्फरपुर एक नाबलिग दलित के साथ की गई नृशंसता और उसके बाद, उसके इलाज में की गई उपेक्षा बहुत शर्मनाक है। अगर उसे समय पर इलाज मिल गया होता तो वह बचाई जा सकती थी। लेकिन डबल इंजन सरकार ने उसे सुरक्षा उपलब्ध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मंदिर से लौट रहे झालावाड़ भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या

झालावाड़, 2 जून। मंडावर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता सुरेन्द्र मेवाड़ा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुरेन्द्र मेवाड़ा रोज की तरह मंदिर दर्शन के लिए गए

- **मृतक भाजपा नेता का नाम 2012 के चर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड से जुड़ा रहा है। इस वारदात को भी उस मामले से जोड़ कर देखा जा रहा है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेना के ईसाई अफसर की बर्खास्तगी को उचित माना दिल्ली हाई कोर्ट ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ईसाई सेना अधिकारी की सेवाओं की समाप्ति को सही ठहराते हुए कहा है कि सशस्त्र बलों की एकता धर्म में विभाजित होने के बजाय उनकी वर्दी में निहित है। यह अधिकारी नियमित रेजीमेंटल धार्मिक परेडों में भागीदारी से लगातार इनकार करता रहा है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की पीठ ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 3 मार्च 2021 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी के बिना सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। वे एक स्क्वॉड्रन में "ट्रुप लीडर" के पद पर कार्यरत थे।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने धर्म को अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश से ऊपर रखा, और सेना अधिनियम के तहत यह अवज्ञा एक अपराध है।

पीठ ने कहा, "इस मामले में प्रश्न धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि अपने वरिष्ठ के वैध आदेश का पालन करने का है। याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे धार्मिक परेड में भाग लेने के लिए, यहां तक कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर कुछ अनुष्ठान करने को कह चुके थे, ताकि जवानों का मनोबल बढ़ाया जा सके। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता ने अपने धर्म को सैन्य अनुशासन से ऊपर रखा, जो स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है।"

अदालत ने आगे कहा,

"हमारे सशस्त्र बल विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों और मान्यताओं से आने वाले सैनिकों से मिलकर बने हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा करना है। इसलिए वे धर्म से नहीं, बल्कि अपनी वर्दी से एकजुट होते हैं।"

- **न्यायालय का मत था कि बर्खास्त अफसर ने अपने धर्म को अपने वरिष्ठ अधिकारी को कानून संगत आदेश से ऊपर माना, यह अनुशासनहीनता है, आर्मी एक्ट के अनुसार, इस अफसर को बर्खास्त करना सही था**
- **यह अफसर लगातार साप्ताहिक रैजीमेंटल धार्मिक परेड में भाग लेने से मना करता रहा। इसे सरासर अनुचित माना न्यायालय ने।**
- **न्यायालय के अनुसार, अपनी यूनिफॉर्म में सब एक होते हैं तथा धर्म उन्हें नहीं बांट सकता।**

याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि उनकी रेजीमेंट में केवल एक मंदिर और एक गुरुद्वारा ही धार्मिक ज़रूरतों के लिए उपलब्ध है, जबकि वे एक ईश्वरवादी ईसाई धर्म के हैं। उन्होंने मांग की थी कि जब वे अपने सैनिकों के साथ साप्ताहिक धार्मिक परेड में शामिल हों तो उन्हें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से छूट दी जाए।

सेना के अधिकारियों ने उनके निष्कासन का बचाव करते हुए बताया कि उन्हें समझाने के प्रयास किए गए, अन्य ईसाई अधिकारियों और स्थानीय चर्च के पादरी के माध्यम से भी बातचीत हुई।

पादरी ने उन्हें बताया कि सर्व धर्म स्थल में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जाना उनके ईसाई धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अधिकारी अपने रुख पर अड़े रहे।

30 मई को दिए गए निर्णय में, अदालत ने सीमा पर दिन-रात विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने वाले सैनिकों को सलाम करते हुए कहा कि वर्दी में एकरूपता और सभी धर्मों का सम्मान सैन्य अनुशासन और समन्वित कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेना की आत्मा धर्म से पहले राष्ट्र को मानती है।

अदालत ने यह भी कहा कि हालाँकि कुछ रेजीमेंट के नाम ऐतिहासिक कारणों से धर्म या क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर कोई आंच नहीं आती। धार्मिक नारे केवल प्रेरणादायक उद्देश्यों के लिए होते हैं, जिनका उद्देश्य सैनिकों में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाना होता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में सेना प्रमुख ने याचिकाकर्ता के आचरण को सैन्य मूल्यों का उल्लंघन माना है और जब तक यह निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना न हो, अदालत को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा: हालाँकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि याचिकाकर्ता को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर उस पर अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी हैं - युद्ध के समय नेतृत्व करना, सैनिकों को प्रेरित करना, उनमें अपनापन और विश्वास की भावना विकसित करना।

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बार-बार समझाने और कई अवसर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता का साप्ताहिक रेजीमेंटल धार्मिक परेड में पूरी तरह भाग न लेना, यह दर्शाता है कि वह सैन्य सेवा की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढालने को तैयार नहीं था।

पद रिक्त नहीं हो तो सृजित करके नियुक्ति दें

जयपुर, 2 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता को एससी तलाकशुदा कोटे में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यदि भर्ती के पद रिक्त नहीं है तो याचिकाकर्ता के लिए पद सृजित किया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने ये आदेश सुनील कुमारी सामरिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता को एससी तलाकशुदा कोटे में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिये।**

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में एससी महिला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)